न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (शहर), बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– मोनिका बलारा आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 210/2010

आर.सी.एम.एस. संख्या:– 2010/00264

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र जतनलाल जाति डागा निवासी बागडी मोहल्ला, बीकानेर।
2. सत्यम शोध संस्थान ट्रस्ट रजि. कार्यालय बडा उपासरा, रागडी चौक, बीकानेर जरिये मैनेजिंग ट्रस्टी सुरेन्द्र कुमार पुत्र जतनलाल जाति डागा निवासी बागडी मोहल्ला, बीकानेर।

---प्रार्थीगण---

–बनाम–

1. शंकरलाल पुत्र बुलाकीदास जाति बोहरा निवासी जोशी वाडा, बीकानेर ।
2. श्रीमति बस्सु मालावत पत्नी तनवीर मालावत निवासी 2, युआईटी क्वाटर्स, राजमाता का नोहरा, दीनदयाल उपाध्याय सर्किल, बीकानेर ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार बीकानेर ।

---अप्रार्थीगण---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. 1955

अभिभाषक उपस्थितिः–
1. श्री बी. आर. कोठारी, अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

–:निर्णय:– दिनांकः– 04.07.2018

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खाते में ग्राम नाल बड़ी के खेत ख.नं. 366 तादादी 2.87 हैक, ख.नं. 395 तादादी 3.82 हैक, ख.नं. 409 तादादी 3.17 हैक, ख.नं. 410 तादादी 3.29 हैक, ख.नं. 411 तादादी 1.71 हैक, ख.नं. 412 तादादी 2.34 हैक, ख.नं. 413 तादादी 2.92 हैक, ख.नं. 414 तादादी 2.22 हैक, ख.नं. 415 तादादी 3.23 हैक, ख.नं. 416 तादादी 3.44 हैक, ख.नं. 417 तादादी 4.27 हैक, ख.नं. 800 तादादी 1.48 हैक, ख.नं. 857/799 तादादी 0.41 हैक, ख.नं. 889/798 तादादी 2.67 हैक, ख.नं. 900/343 तादादी 2.93 हैक, ख.नं. 901/342 तादादी 1.36 हैक, ख.नं. 929/419 तादादी 0.57 हैक, ख.नं. 931/418 तादादी 0.64 हैक, ख.नं. 943/378 तादादी 0.17 हैक, ख.नं. 1129/369 तादादी 0.93 हैक, ख.नं. 1134/342 तादादी 0.06 हैक, ख.नं. 1147/395 तादादी 1.49 हैक, ख.नं. 1154/798 तादादी 0.18 हैक, ख.नं. 1155/342 तादादी 0.17 हैक, ख.नं. 1156/343 तादादी 0.25 हैक, ख.नं. 1169/418 तादादी 0.32 हैक, ख.नं. 1170/403 तादादी 0.09 हैक, ख.नं. 1171/404 तादादी 0.09 हैक, ख.नं. 1180/422 तादादी 0.63 हैक. एवं ख.नं. 1204/1141/4220 तादादी 0.11 हैक, कुल किता 31 कुल तादादी 49.91 हैक्टर भूमि दर्ज है । विवादित भूमि पैतृक भूमि नहीं है, अपितु बन्दोबस्त के दौरान एक ही खाते में दर्ज कर दी गई है । विवादित भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 2.53 हैक्टर हिस्सा है, लेकिन किसी विशेष भू–भाग पर कभी कब्जा ना था ना ही है। बावजूद इसके अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 08.07.2004 को जरिये विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 2 को ख.नं. 395 तादादी 3.82 हैक. में से 1.04 हैक. (उत्त

भाग) खसरा नं 1147/395 तादादी 1.49 है0 इस प्रकार कुल 2.53 हैक्टर भूमि विक्रय पत्र में दर्ज करके विक्रय कर दी । अप्रार्थी संख्या 1 को किसी तरह के अधिकार उपरोक्त खसरात को विक्रय करने के प्राप्त नहीं थे । विक्रय पत्र **Null And Void** तथा शून्य है। संयुक्त खाते की भूमि में प्रत्येक खातेदार का अधीन के प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त विधिक रूप से माना जाता है। अविभाजित भूमि पर किसी **Stranger Purchaser** का कानूनी तौर पर किसी विशेष भू भाग पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 2 उक्त शून्य विक्रय पत्र की आड़ में प्रार्थीगण को जबरन उनकी अविभाजित भूमि से बेदखल करना चाहता है । अतः अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जावें कि वे वादगत भूमि (ख.नं 395 तादादी 3.82 है0 में से 1.04 है0 (उत्तरी भाग), ख.नं 1147/395 तादादी 1.49 है0 इस प्रकार कुल 2.53 हैक्टर) में प्रवेश ना करे, ना ही कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन करे, ना ही प्लाट आदि काटे तथा ना ही कोई ऐसा कृत्य करे जिससे प्रार्थीगण के अधिकारों व कब्जे काश्त पर कोई बुरा असर पड़े ।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । जिसपर अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री जयचन्दलाल सारस्वत ने उपस्थित आये, किन्तु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाब बन्द किया गया । 3. प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई ।

4. वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा प्रतिवादी संख्या 2 को विवादित भूमि में से अपना हिस्सा बेच कर दिया किन्तु बैयनामा **Null And Void** है, क्योंकि बैयनामे में **Particular** खसरों का उल्लेख है, जिन्हे बेच करने का अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 को नहीं था। चूंकि वह भूमि का सहखातेदार था और सहखातेदार को खाते में शामिल 31 खसरों में से किन्हीं 2 खसरों को बेचान करने का अधिकार नहीं था।

5. वकील प्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि प्रार्थीगण भी विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है और मौके पर कब्जा-काश्त भी है, अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

6. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी अधिवक्ता ने यह नहीं बतलाया कि वे इस विवादित भूमि पर कब और कैसे आए है। आगे कथन किया कि प्रार्थी ने दिनांक 30.04.2007 को मुख्त्यारआम प्रदुम्न सिंह से इस खाते की कुछ भूमि क्रय की थी। जबकि अप्रार्थी ने 3 वर्ष पहले इस भूमि को क्रय किया था। अतः अप्रार्थी भी भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है और प्रार्थी के आने से पूर्व से ही इस भूमि के कब्जे काश्त में है, अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला साबित नहीं होता है ।

7. वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थी वकील की बहस का जवाब देते हुए पुनः कथन किया कि प्रार्थीगण के हक में हुए बैयनामें में सभी 31 खसरे व हिस्सा लिखा है, जबकि अप्रार्थी का बैयनामा **Abinitio Null And Void** है। यदि ऐसे बैयनामे के आधार पर आगे बेचान होता है, तो आगे **Litigation** बढेगा । अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे ।

8. हमने वकुलाय फरीकेन की बहस पर गहनता से मनन किया । पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

9. विवादित भूमि (खसरा नम्बर 395 व 1147/395 कुल तादादी 2.53 हैक्टर) रोही नाल छोटी में एक संयुक्त खाते की भूमि है। इस संयुक्त खाते में इन दो खसरों को शामिल करते हुए कुल 31 खसरों की कुल तादादी 49.91 हैक्टर भूमि है । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के अलावा इस संयुक्त खाते में कई अन्य सहखातेदार भी है, जिन्हें प्रार्थीगण ने पक्षकार नहीं बनाया है ।

10. प्रार्थीगण ने रिलीफ में अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय की चाही है कि उक्त वादगत दो खसरों में अप्राथीगण न स्वयं प्रवेश करे, ना ही किसी अन्य को प्रवेश करावें, ना ही खड्डे आदि खोदे, ना प्लाट आदि काटे, ना ही कोई ऐसा फेल या फर्क फेल करें, जिससे प्रार्थीगण के अधिकारों एवं कब्जे काश्त पर बुरा असर पडे । प्रार्थीगण ने बेचान न करने बाबत् कोई रिलीफ नहीं चाही है ।

11. प्रार्थीगण ने उक्त संयुक्त खाते मे से भूमि जरिये बैयनामा अप्रार्थीगण के इस भूमि पर आने के बाद क्रय की है । जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का उक्त विवादित

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीकानेर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट ★ बीकानेर ★

खसरों पर कब्जा नहीं है । कब्जे बाबत् प्रार्थीगण ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है (स्वयं के पक्ष में हुए बैयनामें की प्रति भी पेश नहीं की है) ।

12. प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 दोनों की खरीदशुदा भूमि है, दोनों रिकॉर्डेड खातेदार है, अतः अपूर्णीय क्षति दोनों को होने की सम्भावना है ।

13. प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों सहखातेदार है। किसी सहखातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश करने से रोके जाने बाबत् कोई कानूनी प्रावधान नहीं है ।

14. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

15. निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया व इस न्यायालय की मोहर से जारी किया गया ।

(मोनिका बलारा)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(शहर), बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official